

## राज्यपाल की आपदा उद्घोषणा

**जबकि**, 31 अगस्त, 2022 तक, इलिनॉय राज्य और शिकागो शहर में, किसी पूर्व सूचना के बिना टेक्सास राज्य की ओर से भेजी गई बसें आनी शुरू हो गई। ये बसें मध्य और दक्षिण अमेरिका से उन व्यक्तियों और परिवारों को ला रही थीं, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में शरण मांग रहे थे; और,

**जबकि**, 31 अगस्त 2022 से 16 अगस्त 2024 के बीच, शरण चाहने वाले छियालीस हजार से अधिक व्यक्ति और परिवार बिना किसी पूर्व सूचना के शिकागो और इलिनॉय के अन्य शहरों में पहुंच चुके हैं; और,

**जबकि**, शरण मांगने वाले व्यक्तियों और परिवारों को टेक्सास और संभवतः अन्य राज्यों सहित इलिनॉय में ले जाए जाने की उम्मीद है और राज्य और स्थानीय भागीदारों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वित्तपोषित करने और/या ज़रूरी सेवाएं प्रदान करने के लिए मिलकर काम करना जारी रखना होगा, जिसमें आश्रय क्षमता, पुनर्वास मामले का प्रबंधन और स्थायी आवास का समर्थन करना शामिल है, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है; और,

**जबकि**, इलिनॉय मैत्रीपूर्ण राज्य है। 1975 से 60 से ज्यादा देशों के 125,000 से अधिक शरणार्थियों को बसाया गया है, यह राज्य लंबे समय से बढ़ते अप्रवासियों के समुदाय से समृद्ध और संपन्न रहा है; और,

**जबकि**, राज्य एजेंसियां अभी भी यह सुनिश्चित करने के लिए शिकागो शहर और अन्य स्थानीय सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही हैं कि इलिनॉय पहुंचने वाले व्यक्तियों और परिवारों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सहायता मिले, ताकि उनके कल्याण और इलिनॉय राज्य और उसके निवासियों के समग्र कल्याण की रक्षा हो सके; और,

**जबकि**, इलिनॉय में आए शरण मांगने वाले परिवारों और लोगों को विशिष्ट और तत्काल सहायता की ज़रूरत है, जिसमें आपातकालीन आश्रय और आवास; भोजन; स्वास्थ्य जांच, चिकित्सा जांच और उपचार; महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने में सहायता के लिए केस प्रबंधन से जुड़ी सेवाएं (कानूनी सेवाओं और नौकरी के लिए त्वरित सहायता सहित) और लाभ (संभावित रूप से महिलाओं के खिलाफ हिंसा अधिनियम, और/या अपराध के शिकार अधिनियम के तहत, मानव तस्करी, यातना और अन्य गंभीर अपराधों (VTTC) के पीड़ितों को लाभ सहित); पब्लिक स्कूलों में नामांकन; और लंबी अवधि के लिए आवास और आवास सहायता शामिल हैं; और,

**जबकि**, ये परिवार और लोग अपने घरों से बहुत लंबी और कठिन यात्रा करके आए हैं, इसलिए उनमें से कई को चिकित्सा देखभाल की भी ज़रूरत होती है, जिनमें गर्भवती महिलाओं के लिए प्रसव से पूर्व देखभाल; बच्चों में कुपोषण, डिहाइड्रेशन और अस्थमा का उपचार; पैर की चोट और घाव की देखभाल; टीकाकरण;

और पुरानी बीमारी का उपचार भी शामिल हैं। इलिनॉय आने वाले कई वयस्कों, बच्चों और शिशुओं का मानसिक स्वास्थ्य अवलोकन और उनकी यात्रा के दौरान अनुभव किए गए आघात से उबरने के लिए देखभाल की भी ज़रूरत होती है; और,

**जबकि**, इलिनॉय और संपूर्ण राज्य में कई स्थानीय सरकारें नियमित रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रवेश या शरण मांगने वाले परिवारों और लोगों के साथ-साथ पर्याप्त क्षमता सुनिश्चित करने के लिए योजना बनाने में पूरी तरह से व्यस्त हैं, ताकि कमजोर लोगों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें; और,

**जबकि**, यह घोषणा इसलिए आवश्यक है कि शरण मांगने वाले परिवार और व्यक्ति बिना किसी अग्रिम सूचना के इलिनॉय में आ रहे हैं, जैसे कि वे कब आएंगे और उनका इलिनॉय राज्य या शिकागो शहर के साथ कोई समन्वय नहीं है; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य और स्थानीय सरकारों ने गैर-सरकारी संगठनों तथा स्वयंसेवकों के साथ मिलकर शरण मांगने वाले परिवारों और लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए काम किया है; और,

**जबकि**, वर्तमान में शरण मांगने वाले परिवारों और व्यक्तियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए आवश्यक बढ़ी हुई क्षमता को बनाए रखने के लिए तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है, क्योंकि इन कमजोर परिवारों और व्यक्तियों के स्वास्थ्य और कल्याण के लिए सभी ज़रूरी सेवाएं मुहैया करने की सामान्य क्षमता काफी हद तक पार हो गई है; और,

**जबकि**, तत्काल और लगातार कार्रवाई के बिना, शरण मांगने वाले परिवारों और लोगों के लिए अल्पकालिक और मध्यवर्ती एवं लंबी अवधि के आश्रय और आवास की सुविधा; उन्हें समावेशित करने वाली सेवाएं जैसे कि भोजन, स्वास्थ्य देखभाल, कानूनी सेवाएँ, और रोजगार के लिए त्वरित सहायता; अन्य ज़रूरी सेवाएं पाने में सहायता करने के लिए केस प्रबंधन कर्मचारी; और इन सेवाओं को प्रदान करने के लिए सभी स्तरों पर आवश्यक परिचालन के लिए स्टाफिंग; और महत्वपूर्ण सेवाओं में क्षमता की कमी हो जाएगी; और,

**जबकि**, आपातकालीन आश्रय और आवास क्षमता के ही कर्मियों और सेवाओं के लिए तेजी से बढ़ती ज़रूरतों को पूरा करते रहने, और पूरे इलिनॉय में शरण चाहने वाले परिवारों और लोगों तथा समुदायों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कुशलता को किसी जोखिम से बचाते रहने के लिए, राज्य को राज्यपाल की आपातकालीन शक्तियों के उपयोग की आवश्यकता वाली अनुबंधित सहायता को तत्काल प्राप्त करना चाहिए; और,

**जबकि**, मौजूदा इलिनॉय निवासियों के लिए ज़रूरी सेवाएं बाधित न हों, यह पक्का करते हुए इस विकसित होती स्थिति को संभालने के लिए आवश्यक अंतर-एजेंसी और अंतर-सरकारी प्रयासों हेतु लगातार स्टाफ की व्यवस्था करने के लिए आपातकालीन कदम उठाने आवश्यक है; और,

**जबकि**, वर्तमान परिस्थितियां इन कमजोर परिवारों और व्यक्तियों और राज्य के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए खतरे को जन्म देती हैं। इस कारण तत्काल कार्रवाई करने की ज़रूरत है और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम की धारा 4 के अनुसार यह आपदा की स्थिति है, और इस कारण इसका सामना करने के लिए राज्य सरकार की ओर आपातकालीन कार्रवाई करने की ज़रूरत है; और,

**जबकि**, सितंबर, 2022 को, इन परिस्थितियों के कारण स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के खतरे को देखते हुए, मैंने इलिनॉय राज्य में सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित किया; और,

**जबकि**, इलिनॉय राज्य की यह नीति है कि राज्य किसी भी आपदा को संभालने के लिए तैयार रहेगा और, इसीलिए, लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण को सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त राज्य संसाधन उपलब्ध कराना आवश्यक व उपयुक्त है; और,

**जबकि**, ये परिस्थितियां इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम की धारा 7 के अनुसार आपदा की उद्घोषणा जारी करने को उचित ठहराती है; और,

**जबकि**, इलिनॉय संविधान की अनुच्छेद V, धारा 8 में, यह प्रावधान है कि “[राज्यपाल के पास सर्वोच्च कार्यकारी शक्ति होगी, और वह कानूनों के ईमानदारी से निष्पादन के लिए जिम्मेदार होगा.]” और प्रस्तावना में कहा गया है कि इलिनॉय संविधान का एक केंद्रीय उद्देश्य “लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए प्रावधान करना” है;

**अब, इसलिए**, इलिनॉय के लोगों और लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण हेतु उत्तरदायी स्थानीय शासन की सहायता के लिए, मैं, जे बी प्रिट्ज़कर (JB Pritzker), इलिनॉय का राज्यपाल (गवर्नर), एतद्वारा निम्नलिखित उद्घोषणा करता हूं:

**अनुभाग 1.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी एक्ट) के 20 ILCS 3305/7 के धारा 7 के प्रावधानों के अनुसार, मैं यह पाता हूं कि इलिनॉय राज्य के भीतर आपदा मौजूद है और राज्य की सभी काउंटियों को आपदा क्षेत्र घोषित करता हूं। यह उद्घोषणा इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम, 20 ILCS 3305/7 की धारा 7 के अनुसार प्रदत्त सभी आपातकालीन शक्तियों के प्रयोग को अधिकृत करती है, जिसमें नीचे उल्लिखित विशिष्ट आपातकालीन शक्तियां भी शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।

**अनुभाग 2.** प्रमुख एजेंसी के रूप में, इलिनॉय मानव सेवा विभाग (Illinois Department of Human Services) को अन्य राज्य एजेंसियों, जैसे कि नीचे उल्लिखित एजेंसियों को राज्यपाल, अन्य राज्य एजेंसियों, स्थानीय सरकार और इलिनॉय राज्य शिक्षा बोर्ड (Illinois State Board of Education) के साथ काम करना जारी रखने और वर्तमान स्थिति के प्रभावों का जवाब देने के लिए रणनीतियों और योजनाओं के विकास और कार्यान्वयन के संबंध में एक-दूसरे के साथ समन्वय जारी रखने का निर्देश दिया जाता है, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं है, जिसमें इलिनॉय शरण मांगने वालों की जरूरतों को पूरा करना शामिल है : इलिनॉय मानव सेवा विभाग (Illinois Department of Human Services) (जिसमें शरणार्थी और आप्रवासी सेवा ब्यूरो, हिस्पैनिक और लातीनी मामलों का कार्यालय, स्वागत केंद्र शामिल हैं, और राज्य शरणार्थी समन्वयक और राज्य मुख्य बेघर अधिकारी (State Refugee Coordinator and State Chief Homelessness Officer) को नियुक्त करता है); इलिनॉय सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग (Illinois Department of Public Health) (जो राज्य शरणार्थी स्वास्थ्य समन्वयक को नियुक्त करता है); इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी और होमलैंड सुरक्षा कार्यालय (Illinois Emergency Management Agency and Office of Homeland Security); इलिनॉय केंद्रीय प्रबंधन सेवा विभाग (Illinois Department of Central Management Services); इलिनॉय श्रम विभाग (Illinois Department of Labor); और इलिनॉय स्वास्थ्य देखभाल और परिवार सेवा विभाग (Illinois Department of Healthcare and Family Services)

**अनुभाग 3.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण (इलिनॉय इमरजेंसी मैनेजमेंट एजेंसी) और होमलैंड सिक्योरिटी कार्यालय को राज्य आपातकालीन संचालन योजना को लागू करने और आपदा प्रतिक्रिया और बहाली कार्यों में राज्य की संस्थाओं और स्थानीय सरकारों का समर्थन करने के लिए राज्य संसाधनों का समन्वय करने का निर्देश दिया गया है।

**अनुभाग 4.** प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक आपातकालीन खरीद, और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम द्वारा यथा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियों के संबंध में सहायता प्रदान करने के लिए, इलिनॉय अधिप्राप्ति संहिता (प्रोक्योरमेंट कोड) के वे उपबंध जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों, उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं जिस सीमा तक वे संघीय कानून द्वारा आवश्यक नहीं किए गए हैं। प्रतिक्रिया हेतु आवश्यक अनुदान देने और इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी अधिनियम द्वारा अधिकृत अन्य आपातकालीन शक्तियां, जवाबदेही और अनुदान जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम और इसे लागू करने वाले इलिनॉय प्रशासनिक संहिता (एडमिनिस्ट्रेटिव कोड) के प्रावधान जिसके लिए राज्य एजेंसियों को फंडिंग अवसर (NOFO) की सूचना प्रकाशित करने और योग्यता आधारित आवेदन समीक्षा करने की आवश्यकता होती है और जो आपदा का सामना करने में आवश्यक कार्रवाई को किसी भी प्रकार से रोकते, बाधित करते, या विलंबित करते हों,

उस सीमा तक स्थगित किए जाते हैं, जिस सीमा तक कि वे संघीय कानून के लिए आवश्यक नहीं हैं। अनुदान जवाबदेही और पारदर्शिता अधिनियम के शेष प्रावधान प्रभावी रहेंगे। ज़रूरी होने पर, इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(1) के धारा 7(1) के अनुसार राज्यपाल (गवर्नर) अतिरिक्त संविधियों, आदेशों, नियमों, और विनियमों को स्थगित करने के लिए उपयुक्त सरकारी कार्रवाई कर सकते हैं।

**अनुभाग 5:** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(3) के धारा 7(3) के अनुसार, यह उद्घोषणा आवश्यकतानुसार राज्यपाल (गवर्नर) के, आपातकालीन प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को निष्पादित या सुगमित करने के उद्देश्य से राज्य विभागों और उनके अभिकरणों या इकाइयों के निर्देश, कार्मिकों या कार्यों को स्थानांतरित करने के प्राधिकार को सक्रिय करती है।

**अनुभाग 6.** इलिनॉय आपातकालीन प्रबंधन अभिकरण अधिनियम, 20, ILCS 3305/7(10) के अनुभाग 7(10) के अनुसार, यह उद्घोषणा आवश्यकतानुसार अस्थायी आपातकालीन आवास की उपलब्धता और उपयोग के लिए प्रावधान करने के लिए, राज्यपाल (गवर्नर) के अधिकार को सक्रिय करती है।

**अनुभाग 7.** यह उद्घोषणा संघीय आपदा सहायता के अनुरोधों में तेजी ला सकती है, बशर्ते कि क्षति के पूर्ण व व्यापक आकलन से यह पता चले कि प्रभावी बहाली राज्य और प्रभावित स्थानीय सरकार प्रभावी पुनर्प्राप्ति हासिल करने में असमर्थ हैं।

**अनुभाग 8.** यह उद्घोषणा तकाल प्रभावी होगी और 30 दिनों तक प्रभावी रहेगी।

जे.बी. प्रिट्ज़कर (JB Pritzker)  
राज्यपाल (गवर्नर)

दिनांक: अगस्त 16, 2024